फैक्स

संख्याः 235/परि0/2003

प्रेषकः

मधुकर गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तरॉचल शासन,
देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी /वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तरॉचल।

परिवहन विभाग

देहरादूनः 12 मई, 2003

विषयः पर्वतीय मार्गों पर दुर्घटनाओं के रोकने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय से संबधित सचिव परिवहन के पत्र संख्या 20/स0परि0/2003 दिनांक 20.2.03 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। उक्त पत्र में दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु तथा ओवर लोडिंग एवं ओवर स्पीडिंग को नियंत्रित करने हेतु विस्तृत निर्देश दिये गये थे, और इसी कम में जनपदों के जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त बैठक करके चैकिंग अभियान चलाने और इस हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष एवं परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारी (जहाँ उपलब्ध हो) की संयुक्त टीम गठित करने के निर्देश भी दिये गये थे। ओवर लोडिंग एवं ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहन स्वामियों एवं चालकों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने तथा चैकिंग करने में उदासीनता अथवा लापरवाही पाये जाने पर जवाब देही निर्धारित किये जाने के निर्देश भी दिये गये थे। सन्दर्भित पत्र में प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा प्रति सप्ताह चलाये जा रहे चैकिंग अभियान की सूचना संलग्न प्रारूप पर शासन तथा मंडलायुक्तों को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई थी।

यह खेद का विषय है कि सभी जनपदों से उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रारूप पर सूचना नियमित रूप से प्राप्त नहीं हो रही है। आप सहमत होंगे कि वर्तमान यात्रा अवधि के दौरान यात्रियों के जान माल की सुरक्षा रखने हेतु यह अत्यन्त आवश्यक है कि उपरोक्त पत्रानुसार नियमित रूप से सघन चैकिंग की कार्यवाही की जाती रहे तथा दोषी पाये जाने पर वाहन चालकों के लाइसेंस निलम्बित/निरस्त करने हेतु भी नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

दोषी वाहन चालक के लाइसेंस निलम्बित/निरस्त करने के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा –19,20,21,22,23,24 तथा ऐसे वाहनों के परमिट निलम्बित/निरस्त करने के सम्बन्ध में उपरोक्त अधिनियम की धारा 86 की तरफ

आपका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है (प्रति संलग्न)। साथ ही मोट अधिनियम 1988 के अध्याय 13 में वर्णित धारा 177 से धारा 210 के अन्तर्गत पु अधिकारियों, परिवहन अधिकारियों इत्यादि के दायित्वों एवम् अधिकारों की तरफ आपक ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित धाराओं के अतिरिक्त उपरोक्त धराओं का प्रयोग करते हुए जनपदों में वाहन दुर्घटनाओं एवम् वाहन संबंधी अपराधों पर प्रभावी तरह से रोक लगायी जाये।

सचिव, परिवहन द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र दिनॉकः 20.02.2003 के पत्र की प्रति तथा इसके साथ संलग्न प्रारुप पत्र की एक प्रति पुनः आपको इस उद्देश्य से प्रेषित की जा रही है कि संलग्न. प्रारुप में वांछित सूचना नियमित रूप से (प्रत्येक सप्ताह) शासन तथा मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायी जाए।

भवदीय,

(मधुकर गुप्ता)
मुख्य सचिव।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

संख्याः३८(1)/परि0/2003, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव मा0 मुख्य मंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्रीजी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव मा0 परिवहन मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, गृह उत्तरांचल शासन।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल/कुमायूँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. अपर परिवहन आयुक्त, को इस आशय से प्रेषित कि वे इस संबंध में समस्त सम्भागीय अधिकारियों एवम् प्रर्वतन अधिकारियों को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए वाहनों की दुर्घटनाओं पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने हेतु निर्देश दें।

आज्ञा

(राजीव चन्द्र
अपर स